

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1663 / 2013 / भीलवाड़ा

मैसर्स गौतम एन्टरप्राइजेज, भीलवाड़ा ।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,

अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :31.07.2014

निर्णय


अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 38 / वैट / 2013-2014 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 15.05.2013 कर रु.17,592/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है जिसका निर्धारण वर्ष 2011-12 का निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत दिनांक 15.05.2013 को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, उक्तानुसार मांग राशि कायम की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कर किये गये

लगातार.....2



उत्पादों पर भिन्न-भिन्न दरों से वैट चुकाया गया है एवम् उक्त उत्पादों पर अपीलार्थी व्यवहारी को किसी प्रकार का कोई लाभ एवम् खर्चे नहीं होते हैं क्योंकि उक्त माल जो उपयोग में लिया जाता है उसकी अवार्डर द्वारा निश्चित सरकारी बीएमआर होती है एवम् उक्तानुसार ही अपीलार्थी व्यवहारी को भुगतान किया जाता है । परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित आवर्त में वृद्धि कर, करारोपण किया गया है। उक्तं बिन्दु पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में आवर्त को घोषित किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित आवर्त में बिना किसी ठोस आधार के वृद्धि कर, करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि करारोपण करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया है जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना है। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को सुनवायी का विशिष्ट अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जो उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण वर्ष की समय सीमा दो वर्ष होती है । दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक की अवधि के निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014 तक ही की जा सकती है एवम् उक्त अवधि के बाद यदि निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण आदेश पारित करते हैं तो वह अवधिपार होने के कारण विधिशून्य है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर उक्त बिन्दु पर विवादित कर को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपित्त कि दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक की अवधि के निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014 तक ही की जा सकती है एवम् उक्त अवधि के बाद यदि निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण आदेश पारित करते हैं तो वह


अवधिपार होने के कारण विधिशून्य है, उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दो वर्ष की समयसीमा संबंधी अवधि मूल निर्धारण आदेश पारित करने के संबंध में है। परन्तु यदि इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो वह अपीलीय आदेश प्राप्ति के दो वर्ष की समय सीमा में प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 24 (6) में विशिष्ट रूप से प्रावधित किये गये हैं, जो इस प्रकार है:-

**(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months."**

अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उठायी गयी आपत्ति अस्वीकार की जाती है। जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये संविदा कार्यों में प्रयुक्त माल के संबंध में लाभांश जोड़ कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण का प्रश्न है, उक्त बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी द्वारा नोटिस व विशिष्ट नोटिस जारी किये जाने के अभाव में उचित रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड पत्रावली पर इस संबंध में नोटिस उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त के अभाव में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विवेचन कर, प्रकरण को उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने हेतु उचित रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
31.7.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य